

की पुनरावृत्ति न हो लिये कुम्भत कड़ी व्यवस्था को आय जिससे मर्जी के बिना में प्रोजेक्ट काम करने के लिये जो विशेष ट्रेन चलायी जा रही है उनका सहो लाभ यात्रियों को सरलता से मिल सके ।

मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस बारे में उचित उपरय किए जायेंगे ।

(v) NEED TO CONTINUE THE PAYMENT OF PROJECT ALLOWANCE TO EMPLOYEES OF FARAKKA PROJECT.

SHRI ZAINAL ABEDIN (Jangipur):
Sir, under Rule 377 I raise the following matter of urgent public importance:—

Farakka project authorities have announced discontinuance of payment of project allowance to the project employees with effect from April, 1981, Without any valid reason. The project allowance at the rate of 20 per cent was sanctioned to the project employees and workers on account of disadvantageous conditions prevailing in the area like lack of marketing facilities, medical and schooling facilities, etc. As and when the conditions improved, the project allowance was reduced from 20 per cent to 15 per cent. But while the project is completed, disadvantages, mainly, of high cost of living due to heavy influx of people into the area will persist. Till the amenities and facilities are not made easily available to the workers by proper upliftment of the social environment within the project area and the economic stability is restored, there is no reason why the project allowance should be discontinued. Furthermore, the workers engaged at the deposit work of N.T.P.C. Ganga Brahmaputra Link survey works and some works of State Irrigation Department are being paid the project allowance. Almost all the trade unions functioning in the Farakka project have unanimously demanded that project allowance at the rate of 15 per cent should be continued. This is a just demand. I, therefore, urge upon the Government to pass orders to the

Farakka Barrage authorities to continue the payment of project allowance to the employees and workers of the project.

(vi) ALLEGED SMASHING OF A PHOTOGRAPH OF DR. AMBEDKAR IN KANPUR BY A POLICE SUB-INSPECTOR.

श्री राम बिलास पासवान (हानीपुर) :
एक और अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की समस्या के प्रति सदन चिन्तित है और सर्वसम्मति से उनके हितों की रक्षा के लिये प्रस्ताव पास करती है, दूसरी और प्रशासन द्वारा उनका ठीक उल्टा किया जा रहा है और इस तरह की कार्यवाही की जा रही है जिससे देश के करोड़ों दलितों को चोट पहुंचे । इसी तरह की एक घटना का जिक्र में करना चाहता हूँ ।

कल दिनांक 26 अप्रैल, 1981 को मेरा कार्यक्रम डा. अम्बेडकर जयन्ती के सिलसिले में कानपुर में था । एक जगह जयन्ती समारोह में भाग ले कर दूसरी जगह पर गड़रिया पुरवा में जब गया तो देखकर दंग रह गया कि यहां डाक्टर अम्बेडकर का चित्र टूटा पड़ा है । महिलायें रो रही थीं । जब कारण पूछा तो पता चला कि फजलगंज थाने के एक सब-इंस्पेक्टर और दो तिपाही आय । सब-इंस्पेक्टर ने लात से ठोकर मार कर डाक्टर अम्बेडकर की फोटो को चकनाचूर कर दिया । आयोजकों को बुरी तरह पीटा । महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया । इसके पहले भी अम्बेडकर डकर स्टडियम, दिल्ली में डा. अम्बेडकर की प्रतिमा को खडित कर दिया गया था । आजादी के तीस वर्षों के बाद जब इस तरह की घटना घटी और संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर को इस तरह अपमानित किया जाय तो यह देश के लिये कलक की बात है । लोगों ने बताया कि तीनों शराब पीकर नश में चूर थे । नगर के पुलिस चीफ के